

# कार्यालय नगर पालिका परिषद मिलक (रामपुर)

संख्या:- 171(0)/न0पा0मि0/18

दिनांक - 21/11/18

## सार्वजनिक नीलाम सूचना

एतद द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर पालिका परिषद मिलक में संगठित विकास योजना के अन्तर्गत व्यवसायिक योजना में केटिल पोन्ड मिलक में निर्मित भूतल एवं प्रथम तल पर निर्मित 15 अदद आरक्षित दुकानों का नीलाम दिनांक 28.11.2018 को अपरान्ह 02:30 बजे कार्यालय नगर पालिका परिषद मिलक में किया जाना है। नीलामी में भाग लेने से पूर्व रू0 1,00,000.00 की धनराशि जमानत के रूप में नकद/बैंक ड्राफ्ट जो अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद मिलक के नाम बन्धक हो, के रूप में नगर पालिका परिषद मिलक में जमा कर ही बोली में भाग लिया जा सकता है। किसी भी बोली को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार अध्यक्ष नगर पालिका परिषद मिलक के पास सुरक्षित है जिसे किसी भी दशा में चुनौती नहीं दी जा सकती है। नीलामी के पश्चात बोलीदाता को सर्वोच्च बोली का 1/2 भाग तुरन्त व शेष 1/2 भाग एक सप्ताह के अन्दर जमा करना अनिवार्य होगा अन्यथा सर्वोच्च बोलीदाता द्वारा जमा की गयी धनराशि जब्त कर ली जायेगी सर्वोच्च बोली दाता को शासन द्वारा निर्धारित स्टाम्प पर अनुबन्ध कराना अनिवार्य होगा। अन्य नियम व शर्तें बोली बोलने से पूर्व पढकर सुनाई जायेगी अथवा किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय नगर पालिका परिषद मिलक में देखी जा सकती है। आरक्षण वर्ग का विवरण निम्नानुसार है।

क0 सं0	आरक्षण का विवरण	दुकान सं0		योग
		भूतल	प्रथम तल	
01	अनुसूचित जाति	15, 16, 17, 18	115, 116, 117, 118	08
02	अनुसूचित जन जाति	14	—	01
03	सैनिक सुरक्षा कर्मचारी	21	119	02
04	स्वतन्त्रता संग्राम सैनानी	20	114	02
05	सार्वजनिक सेवा से सम्बन्धित ऐसे व्यक्तियों के लिए जो 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं तथा अन्य व्यक्ति जो प्राथमिकता के पात्र हो।	19	113	02
कुल योग				15

(मनोज कुमार श्रीवास्तव)

उप जिलाधिकारी/अधिशासी अधिकारी  
नगर पालिका परिषद मिलक, रामपुर

(केतकी देवी)

अध्यक्ष

नगर पालिका परिषद मिलक, रामपुर

संख्या एवं दिनांक तदैव—

**प्रतिलिपि:**— निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01— अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)/प्रभारी अधिकारी महोदय स्थानीय निकाय रामपुर।

02— जिला सूचना विज्ञान अधिकारी (N.I.C) रामपुर।

03— उप जिलाधिकारी महोदय मिलक को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त दिनांक में आयोजित नीलामी में उपस्थित रहने का कष्ट करें।

04— तहसीलदार मिलक को नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

05— सम्पादक दैनिक समाचार पत्र अमर उजाला व शाह टाईम्स को उनके आगामी अंक में न्यूनतम स्थान में प्रकाशन हेतु।

06— नोटिस बोर्ड नगर पालिका मिलक पर चस्पा हेतु।

(मनोज कुमार श्रीवास्तव)

उप जिलाधिकारी/अधिशासी अधिकारी  
नगर पालिका परिषद मिलक, रामपुर

(केतकी देवी)

अध्यक्ष

नगर पालिका परिषद मिलक, रामपुर